अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 31–38/2012

अपीलार्थी – आईशा खातुन

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1616–1/प्रो0 दिनांक 29.9.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि दिनांक 25.08.2012 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा लगभग 12:05 बजे दिन में सिटाना बाद दक्षिणी पंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्र चकमका केन्द्र संख्या 78 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न त्रुटियाँ /अनियमितता पाई गईः–

(i) आँगनबाड़ी सेविका अनुपस्थित सम्प्रति प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त थी। आँगनबाड़ी सहायिका उपस्थित।

(ii) केन्द्र पर सूचना पट्ट व मीनू चार्ट प्रदर्शित नहीं था

(iii) केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की स0– 19 थी।

(iv) केन्द्र पर मात्र 2.500 किलो ग्राम का ही पोषाहार तैयार किया जा रहा था।

केन्द्र संचालन में अनियमितता के संबंध में कार्यालय पत्रांक ज्ञापांक 1374–1 दिनांक 30.08.2012 से सेविका श्रीमती आईशा खातुन एवं सहायिका श्रीमती ललिता देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, एवं निर्धारित तिथि दिनांक 07.10.2012 को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण का जबाव/पक्ष रखने का तिथि भी तय किया गया /आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका ने स्वंय निर्धारित तिथि

को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया जो, इस प्रकार है:–

सेविका श्रीमती खातुन ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि वे निरीक्षण तिथि को अनन्या कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने गई थी। केन्द्र संचालन हेतु मीनू के अनुसार पूर्ण मात्रा में पोषाहार की साम्रगी सहायिका को देकर प्रशिक्षण प्राप्त करने गई थी।

उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह भी बताया कि बरसात का मौसम होने के कारण सूचना पट्ट एवं मीनू चार्ट रोज खोलना एवं लगाना पड़ता है। उस दिन जल्दी बाजी में पोस्टर एवं मीनू चार्ट नहीं लगा पाई। प्रशिक्षण में जाने में विलंव हो रहा था। वे सहायिका को प्रतिदिन चार्ट एवं पोस्टर लगाने के लिए बता कर प्रशिक्षण में गई थी। सेविका ने उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने की याचना भी की है।

आँगनबाड़ी सहायिका ललिता देवी ने भी अपने स्पष्टीकरण में बताया कि:– (i) वे दिनांक 25.08.2012 को निरीक्षण के दिन केन्द्र पर उपस्थित थी। बरसात के कारण तथा सेविका के प्रशिक्षण में रहने के वजह से तथा अकेली परेशान हो जाने के कारण सूचना पट्ट एवं मीनू चार्ट केन्द्र के अंदर रख दी । चूँकि आज भी एवं पूर्व के दिनों में काफी वर्षा हुई थी, और पुनः वर्षा की संभावना लग रही थी ।

(ii) सहायिका ने यह भी बताई कि वर्षा हो जाने के कारण कुछ लाभुक बच्चें बिना कुछ बताऐ ही चले गए थे, एवं मात्र 19 बच्चें ही केन्द्र पर निरीक्षण पदाधिकारी के आगमन के समय मौजूद थे इस लिए उसी हिसाब से कम पोषाहार तैयार किया जा रहा था, जबकि सेविका द्वारा उन्हें मीनू चार्ट के हिसाब से साम्रगी मुहैया कराई गई थी।

सहायिका ने भी उन्हे स्पष्टीकरण से मुक्त करने की याचना की है। चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1616–1 दिनांक 29.09.2012 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने यह भी अंकित किए है कि निरीक्षण की तिथि को केन्द्र पर 2'500 किलोग्राम का खिचड़ी तैयार किया जा रहा था । जबकि नियमानुकूल केन्द्र पर 3. 600 किलो ग्राम चावल 0.1.600 किलोग्राम दाल 0.1.00 ग्राम का सब्जी , एवं 200 ग्राम तेल का खिचड़ी तैयार किया जाना चाहिए। गणना करने पर केन्द्र पर तैयार पोषाहार की मात्रा 39.6% होता है जो निर्धारित मात्रा से कम है। उन्होंने अपने आदेश में यह भी अंकित किए है कि आई0सी0डी0एस0 के पत्रांक 2120 दिनांक 20.06.2012 की कंडिका 3 (i)(d) में निर्देशित है कि दैनिक पोषाहार अगर 33%1/3 से 66% 2/3 है तो छः महीने की वसूली, चेतावनी एवं सुधार का मौका दिया जाएगा। दुसरे जाँच में नौ माह का पोषाहार राशि की वसूली तथा चयन मुक्त किया जायेगा। इस आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रतिमाह पोषाहार राशि 10.600 रूपये विमुक्त किए जाते है एवं टी0एच0आर0 की राशि, 5810.00

रूपये है, एवं दैनिक पोषाहार की राशि 4790.00 रूपये है। छः माह की दैनिक पोषाहार की राशि 4790X6 =28740 रूपये मात्र होता है इस प्रकार सेविका से 28740=00 रूपये आर्थिक दंड लगाते हुए कोषाहार में चलान द्वारा विभागीय शीर्ष में जमा करने हेतु निर्देश दिए गए ।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष रखा। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः सही नहीं है उन्होंने बताया कि निरीक्षण की तिथि को सेविका श्रीमती खातुन विभागीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण में गई हुई थी, उन्होंने केन्द्र से संबंधित सारे पंजीयाँ एवं प्रत्येक दिन मीनु के अनुसार पोषाहार की साम्रगी सहायिका को सुर्पद कर प्रशिक्षण में गई थी। निरीक्षण तिथि को सहायिका केन्द्र पर थी, चूँकि बरसात का मौसम था, एक दिन पूर्व भी काफी वर्षा हुई थी, उक्त तिथि को भी वर्षा होने की संभावना दिख रही थी, इस लिए कुछ लाभुक बच्चें, जो 19 थे आए हुए थें, बाकी बच्चें केन्द्र पर आकर भी कुछ देर के बाद घर चले गए थे क्योंकि वर्षा होने की संभावना के कारण वे भयभीत थे, एवं जल्दी से घर जाना चाह रहे थे, सहायिका अकेले दायित्वों को निभा रही थी, 2.500 ग्राम का खिचड़ी पोषाहार बनाने हेतु तैयार किया जा रहा था, बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दिया गया था निरीक्षी पदाधिकारी लगभग 12:15 बजे दिन में आए थे, पोषाहार खिलाने की तैयारी चल रही थी, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि विभागीय मार्ग दर्शिका में यह भी स्पष्ट अंकित है कि सेविका/सहायिका में से किसी एक की भी अनुपस्थिति में केन्द्र पर मौजूद सेविका/सहायिका एक दुसरे के कार्यो को आवश्यक सहयोग के साथ दायित्वों का निर्वहन करेंगे यानी उनके दायित्वों/कार्यो के आवश्यक सहयोग प्रदान कर केन्द्र का समूचित संचालन करेंगे, चूँकि प्रश्नगत केन्द्र की सेविका श्रमती आईशा खातुन तीन दिवसीय प्रशिक्षण में चली गई थी,अतः केन्द्र की सारी जिम्मेदारी यहाँ तक कि पोषाहार की साम्रगी भी सहायिका को देकर प्रशिक्षण में गई थी, तो सेविका को आर्थिक दंड वह भी 28,740 रूपये ये औचित्यपूर्ण निर्णय व सही निर्णय नहीं है।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि चूँकि लाभुक बच्चें 19 थे, एवं सहायिका द्वारा 2.500 किलो ग्राम का पोषाहार तैयार किया जा रहा था,जो निर्धारित मात्रा में कम था अतः सेविका को आर्थिक दंड 28,740 रूपये कोषागार में जमा करने का निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश सही व औचित्यपूर्ण है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं, निष्कर्षों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुची कि चूँकि सेविका निरीक्षण तिथि को विभागीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण में गई थी, एवं सहायिका को केन्द्र संचालन हेतु सारे दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सारे अधिकार सौप कर गई थी, यहाँ तक कि मीनू के अनुसार पोषाहार

की खाद्य साम्रगी भी देकर अपने प्रशिक्षण के भाग लेने प्रस्थान की थी विभागीय मार्ग दर्शिका में भी स्पष्ट है कि सेविका की अनुपस्थिति में सहायिका को सारे दायित्वों का निर्वहन करना है अतः सहायिका यह कह कर अपने दायित्वों से बच नहीं सकती है कि मैं अकेली दायित्वों को निभानें में अपने को असमर्थ पाती हूँ। तो फिर यहाँ सेविका जो प्रशिक्षण में गई थी, आर्थिक दंड देना, वह भी छह महीने का आर्थिक दंड औचित्यपूर्ण व सही प्रतीत नहीं होता है। यहाँ तक सहायिका ने लिखित तौर पर बताया कि सेविका प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि का मीनू खाद्य साम्रगी प्राप्त की है, तो निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि को निर्धारित मात्रा में पोषाहार बनाने से कोई रोका तो नहीं था? यहाँ सहायिका की लापरवाही व कार्य के प्रति उदासीनता दिखता है, यहाँ तो वही बात हुई कि "खेत खाय गदहा और मार खाये जुलहा" वाली कहावत चरितार्थ होती है। छह महीने का आर्थिक दंड 28,740 रूपये गरीब सेविका के लिए बड़ी राशि होती है चूँकि यहाँ सेविका पूरी तरह से दोषी नहीं है, सहायिका की लापरवाही का दंड सेविका को भोगतना पड़ रहा है जो सही नहीं है अतः यह न्यायालय मात्र एक महीने का पोषाहार राशि जो 4790 रूपया होता है सेविका को दंड देते हुए कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का आदेश देती है, तथा आदेश निर्गत तिथि से दायित्वों का निर्वहन करने का भी आदेश देती है

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

11.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

11.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा